न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः— 17/2025

अपीलार्थीः—

प्रकाश कंवर पुत्री स्व0 श्री सुमेरसिंह, पत्नी शिवसिंह, उम्र 30 वर्ष, जाति राजपूत निवासी— डाबडी तहसील ओसिया, जिला जोधपुर राज0

बनाम

प्रत्यर्थीगण—

01. किशनसिह पुत्र श्री नरपतसिंह
02. रूगनाथसिंह पुत्र श्री नरपतसिंह
03. कुंदनकंवर पुत्री श्री नरपतसिंह पत्नी शैतानसिंह समस्त जाडियान राजपूत निवासीगण डाबडी तहसील ओसिया, जिला जोधपुर राज0
04. तहसीलदार एवं उप पंजीयक तहसील ओसिया
05. पटवारी, पटवार हल्का बेरडों का बास, तहसील ओसिया
06. सहायक अभियन्ता, जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड ओसिया।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 462 जो तहसीलदार ओसिया द्वारा दिनांक 24—12—2004 पारित किया गया।

आदेश

दिनांकः— 29/7/25

उपस्थितिः— श्री रोशनलाल अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।
श्री भूपतसिंह जोधा अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण की ओर से।

अपीलांटस् की ओर से एक अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम के तहत नामान्तरकरण संख्या 462 तहसीलदार औसिया द्वज्ञरा दिनांक 24.12.2004 को पारित किया गया है उसके विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील के तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार से है कि अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के पिता सुमेरसिंह पुत्र नरपतसिह की खातेदारी की भूमि खेत खसरा सं0 324 रकबा 150 बीघा व खसरा नं0 372 रकबा 57 बीघा 5 विस्वा ग्राम डाबडी तहसील ओसिया में आई हुई है। जिसमें सुमेरसिह का 1/3 हिस्सा है। सुमेरसिह के देहान्त होने पर नामान्तरकरण संख्या 462 तहसीलदार ओसिया द्वारा दिनांक 24—12—2004 को स्वीकृत किया गया। जिसके तहत नरपतसिंह की पत्नी को पूर्व में फौत बताते हुए उसके भाई किशनसिंह, रूघनाथसिह व बहन कुंदनकंवर के नाम स्वीकृत कर दिया। सुमेरसिंह का देहान्त दिनांक 14—8—93 को हो गया था तथा अपीलार्थी अपनी माता के साथ पीहर में निवास करती थी तथा शादी होने पर अपने ससुराल में निवास करने लगी। जिसका फायदा

उठाते हुए राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर नामान्तरकरण संख्या 462 स्वीकृत करवा लिया तथा विवादित भूमि में 1/3 हिस्से की भूमि प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 द्वारा अपने नाम दर्ज करवा दी। अपीलार्थी की माता ने नामान्तरकरण स्वीकृत करवाने की बहुत कोशिश की थी लेकिन नामान्तरकरण स्वीकृत नही किया गया। अपीलार्थी के साथ धोखाधडी करते हुए इकरारनामा निष्पादित करवाया गया था। जिसके संबंध में प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 315/2020 पुलिस थाना ओसिया में दर्ज करवाई गई थी। जिसमें जांच के पश्चात अपराध अन्तर्गत धारा 418, 420, 467, 468, 171, 120–बी भा0द0स0 में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी को नामान्तरकरण की जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई। जिसके साथ में धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किये जाने का निवेदन करते हुए नामान्तरकरण सं0 462 को निरस्त किये जाने की इस्तदुआ कर नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम स्वीकृत किये जाने के निवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई।

यह है कि अपील दर्ज रजिस्टर की गई। प्रत्यर्थीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया। प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये, जिनकी ओर से धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थनापत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। दस्तावेजात प्रस्तुत कर उन्हें रिकोर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया तथा अन्त में लिखित बहस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। प्रत्यर्थी सं0 4 व 5 की ओर से सरकारी अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रत्यर्थी सं0 6 की तामिल से छूट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तामिल से छूट प्रदान करते हुए नाम हटाये जाने का आदेश दिया गया।

यह है कि पत्रावली बहस में नियत की गई। वकील अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी स्व0 सुमेरसिंह की प्रथम श्रेणी की जायन्दा संतान है। जिसके संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाण पत्र जारी गया है तथा प्रथम श्रेणी के वारिसान के जीवित होने के कारण प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 जो कि द्वितीय श्रेणी के वारिसान है, के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने का निवेदन किया तथा अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण भरे जाने का बहस में वर्णन किया तथा अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी को इस आधार पर की नामान्तरकरण बिना सुनवाई के पारित किया गया था। इसलिए उसकी जानकारी अपीलार्थी को नही हो सकी थी तथा वर्ष 2004 में अपीलार्थी नाबालिक थी। अपीलार्थी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी तथा दिनांक 27–10–2021 को नामान्तरकरण की प्रति प्राप्त होने पर उसे सर्वप्रथम नामान्तरकरण की जानकारी हुई इस कारण अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किये जाने का निवेदन किया तथा अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी को नामान्तरकरण की जानकारी पूर्व से ही थी। उसके द्वारा एक इकरारनामा प्रत्यर्थीगण

के पक्ष में दिनांक 24–3–2017 को निष्पादित करवाया गया था जिसमें उसके पति की साख भी डाली हुई है जिस इकरारनामें के जरिये अपीलार्थी द्वारा राशि प्राप्त की गई थी तथा भूमि से अपना हिस्सा छोड दिया गया था। प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 द्वारा सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है। जो वर्तमान में लम्बित है जिसमें अपीलार्थी जानबूझकर उपस्थित नही हो रही है। वाद प्रस्तुत किया गया होने के कारण म्युटेशन की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही होने के कारण वाद में ही पक्षकार अपने अधिकार तय करवा सकते है। इसलिए म्युटेशन अपील चलने योग्य नही है। बहस में आगे बताया कि अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की गई है। सन् 2017 में ही अपीालार्थी को जानकारी थी इसलिए अपील को म्याद बाहर होने के आधार पर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने प्रस्तुत अपील, जवाब, राजस्व रेकर्ड, दस्तावेजात् एवं उभय पक्षकारान विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस एवं प्रस्तुत कानूनी उद्धरणों पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। इस अपील में रेस्पोडेन्टस ने अपीलांट को एक इकरारनामा किशनसिंह व रूगनाथसिंह से ग्राम डाबडी के खसरा संख्या 372, 324 बाबत् दिनांक 24.03.2017 को किया गया जो कि नोटरी पब्लिक से दिनांक 24.03.2017 को तस्दीकसुदा है जिसमें गवाह के रूप में चन्द्रसिंह निवासी. जालोडा व शिवसिंह जो कि अपीलांट के पति है के हस्ताक्षर है। इसी के साथ एक सहमति का शपथ–पत्र इसी दिनांक को निष्पादित किया गया जिसमें लालन–पालन व शादी इत्यादि रेस्पोडेन्ट द्वारा किये जाने पर इस जमीन के हिस्से के पेटे राशि 3 लाख रूपये लेना तथा कोई दावा नहीं किये जाने का उल्लेख है। रेस्पोडेन्टस की ओर से एक सिविल दावा सिविल न्यायालय औसिया में प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। जिसमें अपीलांट पक्षकार है जिसमें नोटिस तामिल होने के उपरान्त उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही हो चुकी है। अपीलांट ने वर्ष 2017 में रेस्पोडेन्टस से इकरारनामा कर लिया था उसके चार वर्ष पश्चात् यह अपील पेश की गयी है। जहां किसी टाईटल के सम्बधं में कोई वाद विचाराधीन चल रहा हो ऐसे मामलो में हस्तक्षेंप नहीं किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत कानूनी उद्धरणों अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण की ऐसी अपीलो में माननीय मण्डल व उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी प्रक्रिया को फिसकल प्रोसिडिग्स माना है। ऐसी अवस्था में सिविल वाद के विचाराधीन रहते अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 29/7/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर